(204)

कार्यालय कमाण्डेण्ट पुलिस ट्रेनिंग स्कूल, अलवर

क्रमांक : पीटीएस–अल/प्रशि./विशि.प्रशि./2022/646-52 01, अप्रेल, 2023

:: कार्यालय आदेश ::

प्रशिक्षण निदेशालय, राजस्थान, जयपुर के वार्षिक कलेण्डर अनुमोदन आदेशांक 18406 दिनांक 27.12.2022 एवं श्रीमान महानिरीक्षक पुलिस, जयपुर रेंज जयपुर के पृष्ठांकन आदेश संख्या 453 दिनांक 28.03.2023 के द्वारा अधीनस्थ जिलों के कानि./हैडकानि. स्तर के पुलिस कार्मिकों को माह अप्रेल, 2023 में दिनांक 10.04.2023 से 12.04.2023 तक **"पुलिस थाना रिकार्ड संधारण एवं हैड मोहर्रिर के कर्तव्य"** विषय से सम्बन्धित 03 दिवसीय प्रशिक्षण एवं दिनांक 28.04.2023 से 29.04.2023 तक **"बीट प्रणाली सुदृढीकरण"** विषय से सम्बन्धित 02 दिवसीय ऑफ–लाइन विशिष्ट प्रशिक्षण कार्यक्रम संस्थान में आयोजित करवाये जाने है।

अतः उक्त ऑफ–लाइन विशिष्ट प्रशिक्षण कार्यक्रमों में भाग लेने हेतु जयपुर रेंज के अधीनस्थ प्रत्येक जिले से 15–15 पुलिस कार्मिक (कानि./हैडकानि. स्तर) प्रशिक्षण कार्यक्रम प्रारम्भ होने की तिथि से पूर्व संध्या को संस्थान में उपस्थित होगें। दिनांक 10.04.2023 से 12.04.2023 तक **"पुलिस थाना रिकार्ड संधारण एवं हैड मोहर्रिर के कर्तव्य"** विषय पर प्रशिक्षण कार्यक्रम को सूचारू रूप से संचालित किये जाने हेतु श्री राजेश कुमार मीणा, पु.नि. को कोर्स डायरेक्टर एवं श्री अरूण सिंह, उ.नि. को सहायक कोर्स डायरेक्टर एवं दिनांक 28.04.2023 से 29.04.2023 तक **"बीट प्रणाली सुदृढीकरण"** विषय पर प्रशिक्षण कार्यक्रम को सूचारू रूप से संचालित किये जाने हेतु श्रीमती मन्जू मीणा, पु.नि. को कोर्स डायरेक्टर एवं श्री केशूराम, उ.नि. को सहायक कोर्स डायरेक्टर नियुक्त कर निर्देश प्रदान किये जाते है कि कोविड–19 की सुरक्षा के लिए केन्द्र सरकार/राज्य सरकार एवं पुलिस मुख्यालय, राजस्थान, जयपुर द्वारा जारी दिशा–निर्देशों की पूर्ण पालना करते हुए समय पर प्रशिक्षण पाठ्यक्रम सामग्री तैयार कर स्वयं एवं योग्य अतिथि व्याख्याताओं की समयानुसार व्यवस्था कर प्रशिक्षण प्रदान किया जाना सुनिश्चित करेंगे।

प्रभारी मैस, एम.टी.ओ., स्टोर अन्य सम्बन्धित प्रभारी, प्रशिक्षण में सम्मिलित होने वाले पुलिस कर्मिकों की मेस, वाहन, विश्राम आदि की पूर्ण व्यवस्था समय पर किया जाना सुनिश्चित करेंगे।

(यशपाल त्रिपाठी)
कमाण्डेण्ट,
पुलिस ट्रेनिंग स्कूल, अलवर।

प्रतिलिपिः– निम्नांकित को सूचनार्थ सादर प्रेषित है :–

1. उप अधीक्षक पुलिस, पुलिस ट्रेनिंग स्कूल, अलवर।
2. मुख्य विधि अनुदेशक, पुलिस ट्रेनिंग स्कूल, अलवर को भेजकर लेख है कि प्रशिक्षण में सम्मिलित होने वाली महिला प्रशिक्षुओं के विश्राम/आवास सम्बन्धित व्यवस्था पृथक से किया जाना एवं उक्त प्रशिक्षण कार्यक्रमों की विषयवस्तु अनुमोदित करवाने हेतु इस कार्यालय में भिजवाया जाना सुनिश्चित करेंगे।
3. कोर्स डायरेक्टर/सहायक कोर्स डायरेक्ट, पुलिस ट्रेनिंग स्कूल, अलवर।
4. संचित निरीक्षक (प्रशा.), पुलिस ट्रेनिंग स्कूल, अलवर।
5. हवलदार मेजर, पुलिस ट्रेनिंग स्कूल, अलवर।
6. प्रभारी सामान्य स्टोर/मेस/एम.टी., पुलिस ट्रेनिंग स्कूल, अलवर।
7. नोटिस बोर्ड।

कमाण्डेण्ट,
पुलिस ट्रेनिंग स्कूल, अलवर।

कार्या.मोबा. 9875099997 / E-mail: ptsalwar@gmail.com/comdt.pts.alwar@rajpolice.gov.in

RajKaj Ref No. : 3550393

Document certified by Yashpal Tripathi
Digitally Signed by Yash Pal Tripathi
Designation: Additional Superintendent Of Police
Date :01-04-2023 03:42:31

Scanned with CamScanner